954 936

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(6)

10-9-08

04AA 000226/08

46 I

23 I 'A'

With the permission By L.R.D.C. Simdega vide case No 136/08-09 order dt. 26.8.08

10-9-08

10/9/08

§1§ लेख्यकारीः- श्री एडवर्ड कुजूर पिता स्व० दयाधाम कुजूर, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सिमडेगा घोचोटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ।

.. .. .. बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्याः- 638/2008

10.9.08

क्रमांक 227 दि० 9.9.08

264/08

श्रीमति वीणा जुनिका टेटे
पति श्री विजय खड़िया
ग्रा. गारजा. जिला सिमडेगा
निम्नलिखित ननजुडिशियल स्टाम्प
वास्ते कैवाला
15400/-
9/9/08
कोषागार लिपिक

10000 x 1 = 10,000
5000 x 1 = 5000
100 x 4 = 400

कुल. 15400

लेने वाली
एडवर्ड कुजूर
ग्रा: ?
?

10/9/08

10-9-08 10 to 1

[illegible]

एडवर्ड कुजूर
स्व० दयाधाम कुजूर
सिमडेगा सिमडेगा
खेदी
10/9/08

10-9-08

5000Rs.

—2—

(2) लेख्यधारिणीः- श्रीमती वीणा जुनिका टेटे पति श्री विजय खड़िया, जाति- खड़िया, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- गरजा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्याः- 639/2008

(3) लेख्यप्रकारः- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्यः- मोबलिग तीन लाख पचासी हजार रुपये अंके 3,85,000/- रुपये होता है ।

(5) सम्पतिः- एराजियात अन्दर मौजा- सिमडेगा घोचोटोली थाना- सिमडेगा, थाना नं० 116, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 107 (एक सौ सात) प्लॉट नं० 2079 (दो हजार उनासी) रकबा 2.23 एकड़ में से 0.25 एकड़ (पच्चीस डिसमिल) आवासीय जमीन ।

जिसकी चौहद्दीः-

उत्तरः- इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता टांड़

दक्षिणः- कच्ची सड़क उप पथ

पूरब :- इसी प्लॉट का दूसरा हिस्सा टांड़

सुनील केरकेट्टा पिता स्व० दुर्गानाथ केरकेट्टा ग्राम कुम्हार टोली थाना + जिला सिमडेगा दि०-10-9-08

10/9/08

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

पश्चिमः- इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता ।

मालगुजारी 5 पैसा (पाँच पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चुँकि मुझ लेख्यकारी को मकान निर्माण एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे बगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार की ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है खतियान में मेरे पिता दयाधाम उराँव के नाम से नाप दर्ज है । मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन मुझे उत्तराधिकारी के हैसियत से प्राप्त है । जो जमीन मैं

10/9/08

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.   Rs 100

एक सौ रुपये   ONE HUNDRED RUPEES

बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ चुँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 136/2008-09 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 26.8.08 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 998 दिनांक 26.8.08 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र बेवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

10/9/08

100 Rs.

--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन
वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

[illegible]
10/9/08

[illegible]
10/9/08

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी
के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का
छाप मेरे समक्ष लिया गया।
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता 10.9.08

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो
खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

बीणा जुनिका टेटे
10.9.08

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी
के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का
छाप मेरे समक्ष लिया गया।
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
10.9.08

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महतो
अधिवक्ता।
{प्रारूपकर्त्ता} 10.9.08
तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 586 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है ।

टंकक
मो० मकसूद
10.9.2008

मो० मकसूद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

10/9/08